

रिपोर्ट पटवारी व मू. अ. निरीक्षण

श्रीमानजी,

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र एवं संलग्न दस्तावेजों को अनुसार प्रार्थना-पत्र में वर्णित आराजी मैचुल होने एवं प्रार्थी का वास्तविक नाम नाम / पत्निका / जाति दुरुस्त किये जाने योग्य है।

पटवारी

*[Handwritten signature]*  
05/12/17

मू-अभिलेख निरीक्षण  
5.12.17

सुशीलकर  
संगपंच  
ग्राम विकास, भूती  
पं.स. आहोर (जालोर)

18/17

रिपोर्ट तहसीलदार / मायब तहसीलदार, आहोर

क्रमांक/मू.क./4347

दिनांक 15.12.17

पटवारी, मू-अभिलेख निरीक्षण की संयुक्त रिपोर्ट एवं मजमें आम में प्राप्त जानकारी अनुसार प्रार्थना-पत्र स्वीकार किये जाने योग्य है। प्रकरण श्रीमान अपर मुख्य अधिकारी सहा. आहोर की सेवा में सादर उपस्थित है।

तहसीलदार (मू.अ.) आहोर

क  
05/12/17

आदेश

प्रार्थना पत्र सं. 250/2017

दिनांक 15-12-17

प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 136 रा. मू. रा. अधिनियम के तहत स्वीकार किया जाकर तहसीलदार, आहोर को आवेदित किया जाता है कि माफिक ईशतदुआ राजरस रेकॉर्ड दुरुस्त किया जावे। पत्रावली जैसल शुमार होकर नम्बर से कम ही।

निर्णय लोक अदालत में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी  
आहोर, जिला-जालोर